संख्याः 7/2025/02बी0पी0/35-1-2025/35-1099/140/2024

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कृषि विभाग,
उत्तर प्रदेश।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ दिनांकः03 फरवरी,2025

विषयः वित्तीय वर्ष 2024-25 में बुन्देलखण्ड पैकेज के अंतर्गत कृषि विभाग की परियोजना हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड पैकेज के अंतर्गत कृषि विभाग की **एकीकृत कृषि विकास योजना (सोलर फैंसिंग)** से सम्बन्धित परियोजना की रू. 7453.00 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू. 5000.00 लाख (रूपये पचास करोड़ मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस कार्य के लिये कृषि विभाग कार्यदायी संस्था होगी:-

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय नीति आयोग, भारत सरकार के पत्र सं.एफ नं. क्यू 11022/08/2015-एग्री.एफटीएस 2838 दिनांक 30 मई, 2018 एवं पत्र सं.एफ नं. क्यू 11022/02/2017-एग्री.(पार्ट)ई18361 दिनांक 29 फरवरी,2024 द्वारा लगाई गई शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन माइलस्टोन्स/टाइम लाइन्स सहित विस्तृत कार्य योजना बनाते हुए किया जायेगा।
2. उपरोक्त परियोजनाओं हेतु उपलब्ध हुई धनराशि एवं कार्य योजना की फॉट तैयार कर तत्काल सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/विभागीय जिला स्तरीय अधिकारी को उनके स्तर से अपेक्षित कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई जायेगी।
3. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत/उपलब्ध हुई है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में अनुमोदित योजना/शर्तों का पालन करते हुए सुनिश्चित किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर/ डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
5. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
6. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रशासकीय विभाग की होगी तथा प्रशासकीय विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमावधि में ही पूर्ण हो जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा।
7. प्रश्नगत परियोजनाओं के सम्बन्ध में नियमानुसार यथावश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
8. प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।
9. प्रशासकीय विभाग द्वारा (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक 04 मार्च, 2024 के क्रम में निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या-

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

4/2024/बी-1-607/दस-2024- 231/2024, दिनाँक 19 जून, 2024 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. प्रशासकीय विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अन्तर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित हैं।
11. प्रश्नगत कार्य हेतु उपलब्ध हुई इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप समयबद्ध ढंग से विलम्बतम 31 मार्च,2025 तक पूर्ण कर लिया जायेगाऔर यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे दिनांक 31 मार्च,2025 से पूर्व समर्पित किया जायेगा।
12. कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त प्रत्येक कार्य स्थल की विशिष्ट परिस्थितियों को संज्ञान में लेते हुए उसका विस्तृत आगणन तैयार कराते हुए सक्षम स्तर की स्वीकृति/तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
13. कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अन्तर्गत किया जायेगा। कार्यों को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियन्त्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। इस सन्दर्भ में थर्ड पार्टी निरीक्षण कर्ता को भी अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा।
14. कार्य स्थल पर इन्हें बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ कार्य के मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेगें।
15. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।
16. प्रशासनिक विभाग द्वारा नियमानुसार लेबरसेस के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
17. कार्य से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के बाद वीडियोग्राफी भी कराई जायेगी तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्यों की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं से पुनरावृत्ति/ द्विरावृत्ति न हो।
18. परियोजना में रखे गये लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कृषि विभाग पूर्णतः उत्तरदायी होगा तथा कार्यों से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों के रख रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
19. कृषि विभाग द्वारा समय समय पर कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए गुणवत्तापरक कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित कराया जायेगा।
20. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2025 तक अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
21. परियोजनाओं हेतु उपलब्ध कराई गई धनराशि के सापेक्ष व्यय/ प्रगति सम्बन्धी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व कृषि विभाग का होगा और तदनुसार नियोजन विभाग को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रेषित की जायेगी तथा व्यय धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर यथाशीघ्र नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

22. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी०एस०टी० की धनराशि प्रत्येक मद में सम्मिलित है, जिसे अनुमन्य कर दिया गया है। प्रशासकीय विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी०एस०टी० की धनराशि सम्मिलित न हो।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रू. 50,00,00,000.00 (रूपये पचास करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट के **अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्ष-2575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम-02-पिछड़े क्षेत्र-800-अन्य व्यय-04-बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाएं-03-बुन्देलखण्ड एकीकृत कृषि विकास योजना (सोलर फैंसिंग)-(के.100/रा.0-के.)-42 अन्य व्यय** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या-E-5-202-X-2024-25 दिनांकः 3-2-2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या:7/2025/02बी0पी0(1)/35-1-2025/35-1099/140/2024 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव/ सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
6. मण्डलायुक्त, झांसी/चित्रकूटधाम।
7. जिलाधिकारी, झांसी/बांदा/ललितपुर/जालौन/महोबा/चित्रकूट/हमीरपुर।
8. मुख्य विकास अधिकारी, झांसी/बांदा/ललितपुर/जालौन/महोबा/चित्रकूट/हमीरपुर।
9. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, झांसी/बांदा/ललितपुर/जालौन/महोबा/चित्रकूट/ हमीरपुर।
10. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
11. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी/बांदा/ललितपुर/जालौन/महोबा/चित्रकूट/हमीरपुर।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।